सुशील कुमार और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

315 अन्य (हरनरेश सिंह गिल, जे.)

ए. बी. चौधरी और हरनरेश सिंह गिल से पहले, जे. जे.

सुशील कुमार और एक अन्य-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण 2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं.

16966, 23 जनवरी, 2019

ए.) भारत का संविधान. 1950-अनुच्छेद 19 (1) (छ) और 226-अधिवक्ता अधिनियम, 1961-. धाराए 17, 19, 24, 29 बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम-आर. एल. 49-हरियाणा राज्य अभियोजन कानूनी समूह बी सेवा नियम, 2001- अधिसूचना को चुनौती-विज्ञापन -

सहायक जिला अटार्नी के लिए बार काउंसिल के साथ एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन आवश्यक योग्यता-सरकारी कर्मचारियों को चयन में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया माना गया, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि सरकारी प्लीडर/सहायक जिला अटॉर्नी अधिवक्ता हैं, जो न्यायालय में वकालत करते हैं, इसलिए सरकार की ओर से हो सकते हैं, फिर भी अदालतों में पेश होने के लिए एक अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का लाइसेंस पूर्व शर्त है। ऐसा होने पर, प्रतिवादीगण कानूनी रूप से यह शर्त लगा सकते हैं कि केवल वे लोग, जिनके पास अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का लाइसेंस है, आवेदन करने के पात्र हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का कोई उल्लंघन नहीं है।

(पैरा 9)

बी) अधिवक्ता अधिनियम, 1961-सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सहायक जिला अटॉर्नी के बीच कोई समानता नहीं है।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और सहायक जिला अटॉर्नी की नियुक्ति के बीच समानता नहीं ली जा सकती है। हमारा विचार है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय में वकालत नहीं करते हैं। वह एक न्यायाधीश के रूप में न्यायालय की अध्यक्षता करता है। इसलिए, की गई तुलना गलत और गलत है ।केवल यह तथ्य कि सहायक जिला अटार्नी के पद के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटार्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के रूप में नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण है जो बार काउंसिल के साथ अधिवक्ता के रूप में

डिक्री धारकों के नामांकन के उद्देश्य से किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान की कानून की डिग्री को मान्यता देने के लिए सक्षम है।

(पैरा 10)

316

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

ग) बार काउंसिल ऑफ इंडिया-एल. एल. बी. डिग्री की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

इसके अलावा, देश में ऐसे कई बेईमान संस्थान हैं जो एल. एल. बी. की डिग्री प्रदान करते हैं, भले ही उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता नहीं दी गई हो । इसलिए, केवल एक बार काउंसिल एक अधिवक्ता के रूप में पदधारी के नामांकन के उद्देश्य से एल. एल. बी. डिग्री के

औचित्य के बारे में जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इस पृष्ठभूमि में, सहायक जिला अटॉर्नी के पद पर भर्ती के लिए बार काउंसिल के साथ एक अधिवक्ता के रूप में पदधारी के नामांकन की शर्त आवश्यक महसूस की गई थी। (पैरा 12)

गगनप्रीत कौर, अधिवक्ता

विपिन यादव, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए

CWP-16252-2018

कीर्ति सिंह, डीएजी, हरियाणा । कंवल गोयल, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता

अमित खटकड़, प्रतिवादी नं. 3 के लिए अधिवक्ता । ऋषि पाल सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता । हरनरेश सिंह गिल, जे।

(1) यह आदेश उपरोक्त 3 याचिकाओं का निपटारा करेगा। हालांकि, सुविधा और स्पष्टता के लिए, रिट याचिका 2018 के संख्या 16966 से तथ्य लिए जा रहे हैं। 2018 का 16966।

(2) वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है जो दिनांक 10.10.2001 (अनुलग्नक P1) की अधिसूचना और दिनांक 09.05.2017 (अनुलग्नक P-2) के विज्ञापन से पीड़ित हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं को सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए चयन प्रकिरया में भाग लेने से रोका गया है, क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी होने के कारण बार काउंसिल से अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है

तथ्य

(3) याचिकाकर्ता संख्या । हिसार में सत्र प्रभाग में क्लर्क/अहलमद के रूप में 20.05.2014 से कार्यरत है और याचिकाकर्ता संख्या 2 25.01.2002 से स्टेनो के रूप में कार्यरत है।

विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद

317

अन्य (हरनरेश सिंह गिल, जे.)

उन्होंने अपना एल. एल. बी. पाठचक्रम वर्ष 2017 और 2018 में पूरा किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 9.5.2017 पर सहायक जिला अटॉर्नी (समूह 'बी') के 180 पदों का विज्ञापन दिया था, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं:-

'अभियोजन, हरियाणा में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैचलर ऑफ लॉ (प्रोफेशनल) की डिग्री।

(ii) बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए । (iii) मैट्रिक

मानक या उससे ऊपर तक हिंदी/संस्कृत ।

दलीलें

(4) उक्त विज्ञापन में याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, अधिवक्ता के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह आगे कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम का नियम 49 सरकारी कर्मचारी को तब तक वकील के रूप में काम करने से रोकता है जब तक कि वह ऐसी सरकारी

सेवा में बना रहता है। उक्त नियम के कारण, याचिकाकर्ताओं ने बार काउंसिल में अपना नामांकन नहीं कराया। जो अधिवक्ता अनुबंध के आधार पर सरकारी सेवा या निजी सेवा या सेवा में शामिल होता है, उसे अपना सनद/लाइसेंस समर्पण करना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किया जाता है कि चूंकि किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अधिसूचना सं। जीएसआर 23/कॉन्स्ट / आर 309/2021 जैसा कि हरियाणा राज्य अभियोजन कानूनी (समूह 'बी') सेवा नियम, 2001 (अनुलग्नक-पी-1) पर लागू होता है, जहां तक यह राज्य बार काउंसिल में उम्मीदवार के नामांकन की शर्त निर्धारित करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया जा सकता है। याचिकाकर्ता दिनांकित 9.5.2017 (अनुलग्नक-P-2) विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश भी चाहते हैं, जो याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है क्योंकि वे एक वकील के रूप में नामांकित नहीं हैं बार

काउंसिल में एक और सरकारी कर्मचारी है, हालांकि वे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से कानून स्नातक हैं।

(5) यह भी तर्क दिया गया है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नियुक्ति के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

(6) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्होंने केवल मांग के अनुसार पदों का विज्ञापन किया है । यह कहा गया है कि प्रासंगिक नियम विज्ञापन में दी गई आवश्यकता के अनुरूप हैं। इसलिए विज्ञापन में कोई गलती नहीं है। यह कहा गया कि नियुक्ति के बाद, उम्मीदवारों को सरकारी वकील /लोक अभियोजक के रूप में है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

हरियाणा राज्य के भीतर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष सरकार की ओर से उपस्थिति। होने के लिए अनुसूचित किया जायेगा

समन्वय

(7) हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और फाइल को भी सावधानीपूर्वक देखा है।

(8) मान लीजिए, याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में हैं और वे चाहते हैं कि चूंकि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए विज्ञापन में शर्त, जिसमें एक वकील के रूप में बार काउंसिल में नामांकन की आवश्यकता होती है, को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हम उक्त तर्क से प्रभावित नहीं हैं। सहायक जिला अटार्नी मूल रूप से एक अधिवक्ता होता है, जो सरकार की ओर से या सरकार की ओर से मामले पर मुकदमा

चलाने या बचाव करने के लिए पेश होता है । इस प्रकार सहायक जिला अटार्नी को मूल रूप से सरकार की ओर से एक वकील के रूप में न्यायालय में वकालत करनी होती है है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 केवल अधिवक्ताओं को अदालतों में वकालत करने की अनुमति देता है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

'29. अधिवक्ताओं को कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का एकमात्र मान्यता प्राप्त वर्ग होना चाहिए। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन

और उसके अधीन बनाए गए कोई भी नियम, नियत दिन से, कानून के पेशे का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का केवल एक वर्ग होगा, अर्थात् अधिवक्ता ।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 आगे निम्नानुसार बताती है:-

30. अधिवक्ताओं का अभ्यास करने का अधिकार ।- के प्रावधानों के अधीन इस अधिनियम में, प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य सूची में दर्ज किया गया है, वह उन सभी क्षेत्रों में वकालत करने के अधिकार का हकदार होगा जहां इस अधिनियम का विस्तार है -

(i) उच्चतम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में;

(ख) किसी भी न्यायाधिकरण या साक्षय लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष; और

(ग) किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष, जिसके समक्ष ऐसा अधिवक्ता तत्काल किसी कानून द्वारा या उसके अधीन वकालत करने का हकदार है।

(9) उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि केवल एक अधिवक्ता, जो बार काउंसिल में नामांकित है, अदालत में वकालत करने का हकदार होगा।

चूँकि सरकारी वकील/सहायक जिला अटॉर्नी अधिवक्ता होते हैं, जो न्यायालय में वकालत करते हैं, इसलिए वे सरकार की ओर से हो सकते हैं और

फिर भी एक वकील के रूप में वकालत करने का लाइसेंस अदालतों में पेश होने की पूर्व शर्त है। ऐसा होने पर, प्रतिवादीगण कानूनी रूप से यह शर्त लगा सकते हैं कि केवल वे लोग, जिनके पास अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का लाइसेंस है, आवेदन करने के पात्र हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का कोई उल्लंघन नहीं है। यदि याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में हैं और निजी क्षमता में या सरकार की ओर से एक वकील के रूप में वकालत करना चाहते हैं, तो वे हमेशा सरकारी सेवा से इस्तीफा दे सकते हैं, बार काउंसिल से वकील के रूप में वकालत करने का लाइसेंस

प्राप्त कर सकते हैं और फिर राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, उक्त शर्त में कोई अवैधता नहीं है, जिसके लिए आवश्यक है कि केवल वे व्यक्ति, जो बार काउंसिल में नामांकित हैं, राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके विपरीत, वही कानून की आवश्यकता को पूरा करता है।

(10) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सहायक जिला अटॉर्नी की नियुक्ति के बीच आगे समानता नहीं खींची जा सकती है। हमारा विचार है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय में वकालत नहीं करते हैं। वह एक न्यायाधीश के रूप में न्यायालय की अध्यक्षता करता है। इसलिए, की गई तुलना गलत और गलत है। केवल यह तथ्य कि सहायक जिला अटार्नी के पद के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला

अटार्नी के रूप में नियुक्ति के लिए एक वकील के रूप में नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण है जो बार काउंसिल के साथ अधिवक्ता के रूप में डिक्री धारकों के नामांकन के उद्देश्य से किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान की कानून की डिग्री को मान्यता देने के लिए सक्षम है।

24. ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिवक्ता के रूप में राज्य सूची में भर्ती किया जा सकता है

राज्य रोल ।- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, एक व्यक्ति राज्य सूची में एक वकील के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य होगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-

(क) वह भारत का नागरिक है: बशर्ते कि इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी अन्य देश के नागरिक को राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया जा सकता है, यदि भारत के नागरिक, विधिवत रूप से योग्य हैं, तो उन्हें उस अन्य देश में कानून का अभ्यास करने की अनुमति है।

(ख) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है; (ग) उसने कानून में डिग्री प्राप्त की है-320

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

(i) [12 मार्च, 1967] से पहले, भारत के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय से; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पहले, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत के भीतर उस तारीख से पहले शामिल किसी भी क्षेत्र के किसी भी विश्वविद्यालय से; या

(ग) 12 मार्च, 1967 के बाद, उपखंड में दिए गए प्रावधान को छोड़कर।

(ख) भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से कानून में तीन साल का अध्ययन करने के बाद, जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है; या

(iiia) विधि में अध्ययन का एक पाठचक्रम पूरा करने के बाद, जिसकी अवधि शैक्षणिक वर्ष 1967-68 से शुरू होने वाले दो शैक्षणिक वर्षों से कम नहीं है या भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है; या]

(iv) किसी अन्य मामले में, भारत के क्षेत्र के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय से, यदि डिग्री को भारतीय बार काउंसिल द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी गई है। या;

4 [या उस उच्च न्यायालय के वकील के रूप में नामांकन के लिए बॉम्बे या कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट लेख लिपिक परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है;] या कानून में ऐसी अन्य विदेशी योग्यता प्राप्त की है जिसे इस अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में प्रवेश के उद्देश्य से वार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है;]

(घ) XXX XXX XXX

(ङ) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है जो इस अध्याय के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।"

राज्य बार परिषदें केवल ऐसे एल. एल. बी. डिग्री धारकों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करती हैं जिनकी डिग्री इस उद्देश्य के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य विधिज्ञ परिषदों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के तहत अधिवक्ताओं की सूची बनाए रखने और उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद को अधिवक्ताओं की सूची की प्रतियां भेजने की आवश्यकता है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"19. राज्य बार काउंसिल भारतीय बार काउंसिल को अधिवक्ताओं की सूची की प्रतियां भेजेगी। प्रत्येक राज्य बार काउंसिल भारतीय बार काउंसिल को इस अधिनियम के तहत पहली बार तैयार की गई अधिवक्ताओं की सूची की एक प्रमाणित प्रति भेजेगी और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसी किसी भी सूची में सभी परिवर्तनों, परिवर्धनों के बारे में सूचित करेगी।

(11) हाल ही में, दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य 1 मामले में शीर्ष अदालत ने माना है कि सहायक जिला अटॉर्नी/लोक अभियोजक अधिवक्ता हैं। इसलिए, राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकन आवश्यक है। निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण अर्थात पैरा सं. 77 निम्नानुसार है:-

77. हमें नहीं लगता कि संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में "अधिवक्ता या वकील" अभिव्यक्ति के अर्थ के बारे में कोई संदेह है। इसका वही अर्थ होना चाहिए जो संविधान से पहले कानून में था और जैसा कि अभिव्यक्ति को आम तौर पर समझा जाता था।"अधिवक्ता या प्लीडर" अभिव्यक्ति कानूनी व्यवसायी को संदर्भित करती है और इस प्रकार, इसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसे अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में कार्य करने और/या अभिवचन करने का अधिकार है। इसके विपरीत संदर्भ में कोई संकेत नहीं

है । यह कानून का अभ्यास करने वाले बार के सदस्यों को संदर्भित करता है । दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 233 (2) में "अधिवक्ता या प्लीडर" अभिव्यक्ति का उपयोग बार के एक सदस्य के लिए किया गया है जो अदालत में मामलों का संचालन करता है या दूसरे शब्दों में अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में कार्य करता है और/या अभिवचन करता है। सुषमा सूरी में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने "बार के सदस्य" अभिव्यक्ति का अर्थ उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में किया जो वास्तव में अदालतों में वकील या अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। राज्य बार काउंसिल की सूची पर एक लोक अभियोजक या एक सरकारी वकील और 1961 के अधिनियम के तहत वकालत करने का हकदार था, जिसे अनुच्छेद 233 (2) के तहत 'अधिवक्ता' अभिव्यक्ति के दायरे में रखा गया था।

(12) इसके अलावा देश में ऐसे कई बेईमान संस्थान हैं जो एल. एल. बी. की डिग्री प्रदान करते हैं, भले ही उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता नहीं दी गई हो। इसलिए, केवल एक बार काउंसिल एक अधिवक्ता के रूप में पदधारी के नामांकन के उद्देश्य से एल. एल. बी. डिग्री के औचित्य के बारे में जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है इस पृष्ठभूमि में, एक अधिवक्ता के रूप में पदधारी के नामांकन की शर्त

1 2003 (1) एस. सी. टी. 752

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

बार काउंसिल के साथ सहायक जिला अटॉर्नी के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक महसूस किया गया था।

(13) इसी तरह का विचार 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. No.20643 में समन्वय पीठ द्वारा लिया गया है जिसका शीर्षक है मंदीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ने 08.10.2018 पर निर्णय लिया है और 2017 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 13,621 में जिसका शीर्षक है:

सीमा देवी वनाम हरियाणा राज्य और अन्य ने 09.10.2018 पर फैसला किया।

इसका शुद्ध परिणाम यह है कि इन याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए । इसलिए हम निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

आदेश

(14) 2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16966,2017 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13619 और 2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16252 खारिज कर दिए गए हैं। कोई लागत नहीं।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत